सोशल मीडिया सेल आजमगढ

पत्र सं.- 452/21 **दिनांक- 28 सितम्बर 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे जनपद मे चोरों, वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अवैध शराब माफियो की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय** व **क्षेत्राधिकारी नगर** के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक **धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देश पर** उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह के रात्रि गश्त डियुटी संदिग्ध व्यक्ति , तलाश वांछित अभियुक्त में थाने से रवाना होकर नरौली तिराहा पर चेकिंग की जा रही थी तो जरिये मुखबीर सुचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर दो ब्यक्ति रेलवे स्टेशन आजमगढ की तरफ से आ रहे है वह मोटरसाइकिल चोरी की है। मुखबीर खास की सुचना पर अभियुक्तगण 1. मृत्युन्जय शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला उम्र 28 वर्ष निवासी उमरी थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर व 2. जयतुन्जय शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला उम्र 26 वर्ष निवासी उमरी थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर को समय 22.05 बजे गिरफ्तार किय गया जिनके कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल जिसकी नम्बर प्लेट पर UP54C0485 चेसिस नं0 MBLJA05EKC9K23830 इंजन नं0 JA05ECC 9K23301 बरामद हुआ। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बता रहे है कि हम दोनों भाई हैं हम दोनों भाई मिलकर थाना नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में गाड़ी का खरीद फरोक्त करके नम्बर प्लेट बदलकर अतुल सिंह पुत्र लालजी सिंह निवासी कस्बा सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के यहां छिपा दिया करते थे। फिर हम तीनों उसको बेचकर उसमें जो पैसा मिलता था उसमें से आधा पैसा अतुल सिंह उपरोक्त को दे दिया करते थे। हम दोनों भाईयों के अलावा अतुल सिंह उपरोक्त भी हम लोग के इस तरह के कार्यो में पूर्ण रूप से सहयोग करता था व सम्मिलित रहता था। मैं वहां पर अपना नाम मृत्युन्जय झां के नाम से इस तरह का कार्य करता था लेकिन मेरा वास्तविक नाम मृत्युन्जय शुक्ला ही है। साहब हम लोग थाना नोएडा से अर्टिगा गाड़ी को हेरा फेरी करके लाकर अतुल सिंह पुत्र लालजी सिंह उपरोक्त को दिये हैं जो उन्ही के पास है। वह अक्सर हम लोगों द्वारा दिये गये गाड़ियों का नम्बर प्लेट बदलकर चलाते हैं या बेच देते हैं। बेचकर जो पैसा प्राप्त होता है उसे तीनों लोग मिलकर बांट लेते हैं।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 233/2021 धारा 411/420/467/468/471 IPC

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 0753/21 धारा 406,420,34 IPC थाना सेक्टर 58 नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)
2. मु0अ0सं0 233/2021 धारा 411/420/467/468/471 IPC थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. मृत्युन्जय शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला उम्र 28 वर्ष निवासी उमरी थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर
2. जयतुन्जय शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला उम्र 26 वर्ष निवासी उमरी थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर

बरामदगी

1. एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल UP54C0485 चेसिस नं0 MBLJA05EKC9K23830 इंजन नं0 JA05ECC 9K23301

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. **प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़**
2. **उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना सिधारी आजमगढ़**
3. **का0 अभय सिंह थाना सिधारी आजमगढ़**
4. **का0 सुरेन्द्र कुमार थाना सिधारी आजमगढ़**

थाना-निजामाबाद

मोटरसाईकिल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाईकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चोरी करने वालों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रमं मे दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.09.2021 को थाना प्रभारी मोतीलाल पटेल व चौकी प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा बडागाव नहर पुलिया पर चेकिंग संदिग्ध वाहन /अवैध व्यक्ति करते हुए रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर थे कि चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल वाहन नं0 MH04FS2023 SPLENDRA PRO को रोककर वाहन के नम्बर व चेसिस नम्बर चेक किया गया तो उसका नम्बर दूसरा व वाहन स्वामी का नाम दूसरा आया वाहन चालक से नाम पूछा गया तो अपना नाम ताहिर पुत्र एहतेशाम सा0 कोर्टकिला थाना कोतवाली आजमगढ़ बताया तथा गाड़ी के सम्बन्ध में पूछा गया तो वाहन चोरी का होना बताया जिसको अपराध का बोध करा कर समय करीब 20.35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-_ताहिर पुत्र एहतेशाम सा0 कोर्टकिला थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी-

1- एक अदद मोटर साईकिल नं0 MH04FS2023

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 187/21 धारा 411,420,467,468,471 भादविथाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी उ0नि0 मोतीलाला पटेल थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंहं चौकी प्रभारी फरिहां थाना निजामाबाद आजमगढ

3. का0 सुमित कुमार -1 थाना निजामाबाद आजमगढ

4. का0 राहुल सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ

5. का0 विक्रान्त विश्वकर्मा थाना निजामाबाद आजमगढ

6. का0 सौरभ पाण्डेय थाना निजामाबाद आजमगढ

थाना-फूलपुर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सवा लाख रूपये से अधिक की धनराशि का गबन करने वाला गिरफ्तार

दिनांक 24.07.2021 को श्री मनोज कुमार यादव अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील -फूलपुर आजमगढ द्वारा डाक द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभि0 तत्कालीन सचिव विक्रेता विनोद कुमार द्वारा शासन से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) से प्राप्त धनराशि मू 0 1,33,154.00 रुपये (एक लाख तैतीस हजार एक सौ चौवन रुपये मात्र) उर्वरक विक्री धनराशि को समिति के बैंक खाते में जमा न करके गबन कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 **117/21 धारा 409 भादवि** पंजीकृत कर, विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में आज दि0 28.08.21 को निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार अवस्थी मय राह के देखभाल क्षेत्र तलाश वाँछित वारण्टी के क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभि0 विनोद कुमार पुत्र चतुरी प्रसाद साकिन शेखपुर पिपरी थाना फूलपुर आजमगढ़ **को समय करीब 09.15 बजे अभियुक्त के घर से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।**

सम्बन्धित मुकदमा –

1- मु0अ0सं0 **117/21 धारा 409 भादवि थाना फूलपुर जनपद** आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.विनोद कुमार पुत्र चतुरी प्रसाद साकिन शेखपुर पिपरी थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 51 वर्ष

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार अवस्थी **थाना फूलपुर जनपद** आजमगढ
2. का0 धर्मेन्द्र यादव **थाना फूलपुर जनपद** आजमगढ

थाना मुबारकपुर

क्रूरता पूर्वक गौवंश वध करने जा रहे अभियुक्तगण गिरफ्तार व जिन्दा बछड़ा व काटने के हथियार बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान पशुबध , अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी सदर अभिजीत आर0 शंकर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर एस0पी0 सिंह के नेतृत्व में मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि पुरा दुल्हन (कुरैशी बस्ती) के पास एक घर में गोवंश काटने वाले है , कि उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुहल्ला पुरादुल्हन (कुरैशी बस्ती) पहुच कर देखा गया कि एक व्यक्ति व एक महिला गाय के बछड़े की बड़ी क्रुरता पुर्वक रस्सी से चारो पैर, मुह आदि बाधकर घर के आंगन में फर्स पर लिटाकर गर्दन के निचे ठीहा लगाकर गोवंश (बछडे) को अभियुक्त द्वारा अपने हाथ में लिये चापड़ (बड़ा चाकू) से काटने के तैयारी में है कि पुलिस बल एक बारगी दविश दिये कि पुलिस बल को देखकर भागना चाहे तभी पुलिस बल द्वारा अभियुक्तगण को घेरकर आज दिनांक 28.09.2021 को समय 12.10 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सलीम पुत्र सकिल निवासी मुहल्ला पुरादुल्हन (कुरैशी बस्ती) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. फरजाना पत्नी हुसैन अहमद कुरैशी निवासी मुहल्ला पुरादुल्हन (कुरैशी बस्ती) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण –

1. एक राशि गौवंश (बछड़ा)
2. दो अदद चापड़ (बड़ा चाकू) ,
3. एक अदद ठीहा
4. 03 जूट की रस्सी

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु.अ.स.193/2021धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 11(घ) पशु क्रुरताअधिनियम

2.मु.अ.सं. 194/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह कर्म0गण

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 26 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।